<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>सं0-4/2025/271/तीस-4-2025/30-4099(099)/38/2025/6(सा0)/2018</u>

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2025

विषयः- परिवहन विभाग की सेवाओं को सी0एस0सी0 डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ ए0पी0आई0 एकीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-78वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 31.01.2025, पत्र संख्या-102वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 13.02.2025 एवं पत्र संख्या-31(शा0)कं0से0/2025-26 कं0से0(ई-गवर्नेंस.प्रो0)/2008-I, दिनांक 05.03.2025 तथा प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा परिवहन विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने विषयक शासनादेश संख्या-16/2020/1126/ तीस-4-2020-06(सा0)/18, दिनांक 22.12.2020 एवं पत्र संख्या-465/तीस-4-2021, दिनांक 15.03.2021 द्वारा मण्डल मुख्यालय/जनपद मुख्यालय पर कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 18.02.2021 को संपन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में आपके संदर्भित पत्रों में यथाउल्लिखित तथ्यों/प्रस्ताव के दृष्टिगत संदर्भित शासनादेश संख्या-16/2020/1126/तीस-4-2020-06(सा0)/18, दिनांक 22.12.2020 एवं पत्र संख्या-465/तीस-4-2021, दिनांक 15.03.2021 के अनुक्रम में प्रदेश में नागरिकों को परिवहन विभाग की समस्त ऑनलाइन सेवाओं को फेसलेस, पारदर्शी, त्वरित और अधिक सुगमता के साथ उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का API एकीकरण करने तथा SBI-MOPS (पेमेंट गेटवे) को सीएससी वॉलेट के साथ सक्षम किये जाने की अनुमति निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) संचालक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र हेतु सफल ट्रान्जेक्शन पर आवेदनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज ₹ 30/-(रु0 तीस मात्र सभी कर सहित) तथा दी गयी अन्य सेवाओं यथा- डाक्यूमेंट स्कैनिंग/अपलोडिंग, प्रिंटिंग, फोटो कॉपी हेतु यथानिर्धारित शुल्क लिया जायेगा तथा केन्द्र द्वारा तत्सम्बन्धी प्राप्त धनराशि की रसीद आवेदनकर्ता को दी जायेगी।

(2) विभिन्न सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क-

क्र0 सं0	सेवा	निर्धारित शुल्क (रुपये में)
1.	प्रति पेज स्कैनिंग/अपलोडिंग	2.00

2.	प्रति पेज प्रिंटिंग	3.00
3.	प्रति पेज फोटोकॉपी	2.00

कृपया तदनुसार यथापेक्षित अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

<u>सं0-4/2025/271/तीस-4-2025/30-4099(099)/38/2025/6(सा0)/2018, तद्दिनांकः-</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक, सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस, उ0प्र0, लखनऊ।
9. श्री जॉयदीप शोम, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, हेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली।
10. स्टेट इन्फार्मेटिक्स ऑफिसर, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
11. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
12. स्टेट हेड, सीएससी-एसपीवी, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि0, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन/प्रवर्तन/आई0टी0/सड़क सुरक्षा/राजस्व), उ0प्र0।
14. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
15. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन), उ0प्र0।
16. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0।
17. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

http://transport.up.gov.in